ऑन लाईन नं. RCMS 2025/50

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 05/2025

1. पलविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

अपीलार्थिया

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. हरनेक सिंह पुत्र भगत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. हमीत सिंह पुत्र श्री सर्वजीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

1. श्री जीतपाल सिंह सैनी , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री राकेश कुमार डागला अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 464 दिनांक 14.06.2023 जो तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 16.06.2023 को स्वीकृत हुआ है जिसमें उपहार पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया है को निरस्त करने हेतू

:: आदेश :: **दिनांक :–19.05.2026**

अपील अपीलांट निम्न प्रकार है :–

1. यह कि इंतकाल संख्या 464 दिनांक 14.06.2023 तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 16.06.2023 को स्वीकृत हुआ है जो खिलाफ कानून , वाकेयात व इंसाफ न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलांट के पिता हरनेक सिंह के नाम चक 3 बी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 98/27 के मुरब्बा नम्बर 1,2,37 की कुल 7.196 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद भूमि है जिसमें अपीलांट का जन्म से अधिकार था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा इस भूमि का उपहार पत्र दिनांक 24.05.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में कर दिया है जिसका इंतकाल संख्या 464 हरनेक सिंह के वारिसों को बिना सुने एकतरफा तौर पर कर दिया गया है जिसे अपीलांट निम्न आधारों पर चुनौती दे रहा है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

3. यह कि अपीलांट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने अपनी कृषि भूमि चक 3 बी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 98/27 के मुरब्बा नम्बर 1,2,37 की कुल 7.196 हेक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड पारिवारिक व्यवस्था करते हुए लिखित में बंटवारानामा सहमति पत्र दिनांक 07.10.2022 को निष्पादित किया जिसमें चक 3 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 37 व मुरब्बा नम्बर 1 व 2 की कुल 28 बीघा नहरी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 37 की 8 बीघा भूमि अपीलांट को दे दी तथा शेष भूमि मुरब्बा नम्बर 1 व 2 की अपीलांट के भाई सर्वजीत सिंह को दे दी गई। इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 8 बीघा नहरी भूमि अपीलांट को प्राप्त हुई जिसके सम्बन्ध में बंटवारानामा सहमति पत्र दिनांक 07.10.2022 को तहरीर करवाया गया तथा इस बंटवारानामा सहमति पत्र की पालना में अपीलांट को कब्जा सौंप दिया गया था। बंटवारानामा सहमति पत्र 100/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर रोबरू गवाहनों के समक्ष निष्पादित किया गया था तथा नोटेरी से एटेस्टिड करवाया गया जिस पर रेस्पोडेंट संख्या –2 के हस्ताक्षर है।
4. यह कि इस बंटवारानामा सहमति पत्र के बाद इसकी पालना में व सहमति हेतू अपीलांट द्वारा बंटवारानामा सहमति पत्र दिनांक 07.10.2022 व अपीलांट के भाई द्वारा बंटवारानामा सहमति पत्र दिनांक 7.10.2022 निष्पादित किया गया , जो अपीलांट के पिता द्वारा निष्पादित बंटवारानामा की पुष्टि करता है।
5. यह कि अपीलांट को बंटवारानामा सहमति पत्र के आधार पर चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 98/27 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3,4 प्रत्येक सालम किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 7 व 8 प्रत्येक सालम , किला नम्बर 13 के 0.1010 हैक्टर, किला नम्बर 14 की 0.1900 किला नम्बर 15 की 0.2020 किला नम्बर 16 की 0.025 हैक्टर कुल 1.986 हेक्टर नहरी भूमि का कब्जा सौंप दिया था फिर उक्त भूमि अपीलांट द्वारा स्वंय काश्त की जा रही है। अपीलांट उक्त भूमि का मालिक था।
6. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने इन सब बातों को जानते हुए उन्ही किलो का उपहार–पत्र दिनांक 24.05.2023 को हमीत सिंह के नाम से किया है, जो अपीलांट को बंटवारे में दिये गये थे जिससे साफ पता चलता है कि उक्त उपहार पत्र अपीलांट के पक्ष में किये गये बंटवारानामा को निष्फल करने के लिए किया गया है।
7. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा उपहार में दी गई विवादित भूमि का उपहार से पूर्व एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में अनवानी पलविन्द्र सिंह बनाम हरनेक सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 88–92क–188 राज.का.अधि. का चल रहा है, चूंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या –2 पिता पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के नाम से दर्ज समस्त भूमि पूर्व में अपीलांट के पडदादा भगत सिंह के नाम से दर्ज थी। भगत सिंह की मृत्यु के बाद उसके नाम की उक्त भूमि विरास्तन हरनेक सिंह, चंचल सिंह वगैरा के नाम से हुआ है। उक्त समस्त भूमि संयुक्त परिवार की सम्पति थी जो विरास्तन हरनेक सिह को अपीलांट के दादा से प्राप्त हुई जो जददी जायदाद की श्रेणी में आती है जिसमें अपीलांट का जन्म से अधिकार है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जिसके सम्बन्ध में अपीलांट ने घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो आज भी विचाराधीन है, दौराने दावा विवादित सम्पति को खुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने उक्त भूमि का उपहार–पत्र राजस्व वाद को निष्फल करने के लिए किया है, इसलिए इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि अपीलांट का दावा आज भी विचाराधीन है तथा विवादित भूमि जिसका उपहार किया गया है वह इस दावा में विवादित है इससे साफ जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के राजस्व वादपत्र को निष्फल करने के लिए उक्त भूमि का उपहार कर इंतकाल दर्ज करवाया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है जबकि नियमित दावे के विचाराधीन रहते नामान्तरण जैसी फिस्कल प्रोसिंडिग्स की कार्यवाही रोक देनी आवश्यक है।
9. यह कि रेस्पोडेन्ट का उपहार धारा 52 टी.पी.एक्ट के हिट होता है इसलिए उपहार –पत्र के आधार पर किया गया इंतकाल भी विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
10. यह कि दोनो पक्षों के मध्य इन्ही विवादित भूमि को लेकर दावा विचाराधीन है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में दोनो पक्षों के अधिकार दावे के द्वारा ही तय हो सकेंगे। यह न्याय का सिद्धान्त है कि जब दावा विचाराधीन चल रहा हो तो नामान्तरण सम्बन्धी समरी कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये। इसलिए उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जावें तथा नया नामान्तरण तब खोला जावे जब दोनो पक्षो के अधिकार तय हो जावें।
11. यह कि इंतकाल अपीलांट व हरनेक सिंह के अन्य वारिसों को बिना नोटिस दिये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तोर पर किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
12. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 132 से 134 की पालना नहीं की है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये इंतकाल दर्ज किया है जो विधि विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
13. यह कि इंतकाल के सम्बन्ध में दस्तावेज के प्रथम 45 दिन में ग्राम पंचायत को अधिकार है। ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन के अन्दर इंतकाल न करने पर तहसीलदार को शक्तियां प्राप्त है। परन्तु उक्त इंतकाल दस्तावेज के 45 दिन के भीतर किया गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
14. यह कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पिता पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के नाम से दर्ज समस्त भूमि पूर्व में अपीलांट के दादा भगत सिंह के नाम से दर्ज थी जो अपीलांट के पिता को प्राप्त हुई है जिसका उपहार करने से अपीलांट को भारी नुकसान हुआ है। अपीलांट अपने हिस्से से बंचित हो गया है, इसलिए अपीलांट इस इंतकाल से एग्रीवड व्यक्ति है। अपीलांट के इस इंतकाल आदेश से हित प्रभावित होते है, इसलिए अपीलांट इंतकाल के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर रहा है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 464 दिनांक 14.06.2023 जो दिनांक 16.06.2023 को तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत हुआ है को निरस्त किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस निम्नानुसार पेश की :–

1. **पैतृक सम्पति और जन्मजात अधिकार (Ancestral Property Rights)**

1.**तर्कः** विवादित भूमि अपीलकर्ता के नाम दर्ज थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत , ऐसी सम्पति जो पिता को प्राप्त हुई हो, वह **'जद्दी /पैतृक सम्पति' की** श्रेणी में आती है।

2.**कानूनी बिन्दु** : ऐसी सम्पति में पुत्र (अपीलकर्ता) का जन्म से ही सह–अंशधारी (Coparcener) का कानूनी अधिकार होता है। पिता (प्रतिवादी नम्बर–2) को पूरी सम्पति का उपहार (Gift) देने का कानूनी अधिकार नहीं है, विशेषकर तब जब वह हिस्सा अन्य वारिसों के हक को प्रभावित करता हो।

3.इस पर माननीय **Revenue Board Judgement, 2022(2) RRT 1193** प्रभावी है, जिसके अनुसार पैतृक सम्पति की वसीयत एक लड़के के पक्ष में नहीं की जा सकती है।

2. **पूर्व निष्पादित बंटवारानामा (Prior Family Settlement)**

1.**तर्कः** प्रतिवादी नम्बर 2 ने दिनांक 07.10.2022 को एक लिखित बंटवारानामा/ सहमति पत्र निष्पादित किया था। इस दस्तावेज के आधार पर अपीलकर्ता को 8 बीघा भूमि (मुरब्बा नम्बर 37) का कब्जा दिया गया था। इस बंटवारे की पालना में अपीलार्थी आज भी मौके पर काबिज है और स्वयं काश्त कर रहा है।

2.**कानूनी बिन्दु** : एक बार जब पारिवारिक बंदोबस्त (Family Settlement) हो जाता है और उस पर अमल (कब्जा) हो जाता है, तो उसे बाद में एकतरफा उपहार पत्र (Gift Deed) के जरिये बदला नहीं जा सकता। यह Doctrine of Extoppel' (विबंधन का सिद्धान्त) के खिलाफ है।

3. **विचाराधीन वाद (Lis Pendens-Section 52 TPA)**

1.**तर्कः** उपहार पत्र दिनांक 24.05.2023 को निष्पादित किया गया, जबकि उससे पहले ही उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में बंटवारे और घोषणा का वाद धारा 88–92ए–188 लम्बित था।

2.**कानूनी बिन्दु : सम्पति अंतरण अधिनियम की धारा 52** के अनुसार , न्यायालय में लम्बित वाद के दौरान सम्पति के स्वरूप में परिवर्तन या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अतः इस दौरान किया गया उपहार पत्र और उसके आधार पर हुआ नामान्तरण (Mutation) **Lis Pendens** के सिद्धान्त से दूषित और शून्य है।

3.**न्यायदृष्टांत : RRT 2001(2) P-1236** में यह स्पष्ट है कि जब दावा विचाराधीन चल रहा हो तो नामान्तरण सम्बन्धी समरी कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए।

4.दौराने स्टे बेचान किया गया है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

5.नियमित वाद के निस्तारण तक नामान्तरण स्थगित रखे गये, जजमेंट **RRT 2006(1) P-473**

6.विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पक्षकारान को से बचना चाहिए तथा नामान्तरण कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए **RRT 2011-12(SUPP) P-657**

4. **प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन (Violation of Natural Justice)**

1.**तर्कः** तहसीलदार ने नामान्तरण संख्या 464 को बिना किसी सार्वजनिक सूचना या अपीलकर्ता (जो वास्तविक कब्जेधारी है) को नोटिस दिए बिना एकतरफा (Ex-Parte) स्वीकृत किया है।

2.**कानूनी बिन्दु** : राजस्थान भू–राजस्व (Land Record) नियम के अनुसार यदि कोई नामान्तरण अनिवार्य है। बिना सुनवाई के किया गया आदेश ' Null and Void' है।

5. **तहसीलदार के क्षेत्राधिकार की त्रुटि (Jurisdictional Error)**

1.**तर्कः** नियम 132–134 के अनुसार , दस्तावेज पंजीयन के 45 दिनो के भीतर नामान्तरण की शाक्ति ग्राम पंचायत के पास होती है। तहसीलदार ने जल्दबाजी में कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए इसे सीधे स्वीकृत किया है, जो प्रक्रियात्मक त्रुटि **(Procedural Irregularity)** है।

6. **सारांश (Summary for Prayer)**

नामान्तरण **Summary Proceeding'** है और इसे मुख्य वाद **(Title Suit)** के फैसले तक लंबित रखा जाना चाहिए था। यदि नामान्तरण निरस्त नहीं किया गया, तो प्रतिवादी नम्बर–3 सम्पति को आगे बेचकर **Third Party Interest'** पैदा कर सकता है, जिससे अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

7. **प्रार्थना** :– अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं कानूनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए , तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 464 को निरस्त फरमाया जाकर , मुख्य वाद के फैसले तक भूमि की यथास्थिति **(Status Quo)** बनाए रखने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो कि निम्नानुसार है:–

1. अपीलांट द्वारा अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 464 दिनांक 14.06.2023 जो तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर दिनांक 16.03.2023 को स्वीकृत किया हुआ है, जिसमें उपहार पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया है, निरस्त करने हेतु रेस्पोडेंट के विरूद्ध पेश किया गया है।
2. अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील में यह अभिकथन दर्ज किये गए है कि विवादित कृषि भूमि अपीलांट के पड़दादा भगत सिंह के नाम से दर्ज थी। भगत सिंह की मृत्यु के बाद उसके नाम की उक्त भूमि विरास्तन हरनेक सिंह, चंचल सिंह वगैरा के नाम से हुआ है। उक्त समस्त भूमि संयुक्त परिवार की भूमि थी, जो विरासतन हरनेक सिंह को अपीलांट के दादा से प्राप्त हुई थी, जो जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है, जो कि बिल्कुल असत्य एवं निराधार दर्ज किए गए है। उक्त कृषि भूमि किसी भी प्रकार से जद्दी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 की स्वअर्जित कृषि भूमि है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

3. रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा उक्त कृषि भूमि वाके चक 03 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नंबर 2, 9, 12, 19, 22, 23 व 18 सालम, 13 व 21 का आधा कुल 8 बीघा कृषि भूमि जरिए दस्तावेज बैयनामा खरीद किया गया था, जो कार्यालय उपपंजीयक महोदय, श्रीगंगानगर के रजिस्टर्ड न. 1047 बुक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 297 पृष्ठ संख्या 241 से 244 पर दिनांक 298.09.1970 को पंजीबद्ध की गई थी। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 2 मालिक काबिज है तथा हर प्रकार से रहन, बैय व हस्तांतरित करने का रेस्पोडेंट संख्या 2 को विधिक अधिकार प्राप्त थे।

4. रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा अपने पोत्र रेस्पोडेंट संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 24.05.2023 को उक्त कृषि भूमि जरिए दस्तावेज उपहार पत्र से उपहार कर दिया गया, जिसके आधार पर रेस्पोडेंट संख्या–3 उक्त कृषि भूमि का मालिक हुआ और उक्त उपहार पत्र के आधार पर उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ, जो कि तमाम औपचारिकता पूर्ण कर वैध तरीके से दर्ज हुआ है, जिसे चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार अपीलांट के पास नहीं है क्योंकि उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 की खरीदशुदा कृषि भूमि है और रेस्पोडेंट संख्या 2 अपने पौत्र रेस्पोडेंट संख्या 3 के पक्ष में उपहार पत्र निष्पादित करने का अधिकारी है।

5. अपील काबिले समायत अदालवतवाला नहीं है इसलिए भी अपीलांट की अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलकृत आदेश इंतकाल संख्या 464 दिनांक 14.06.2023 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। उपरोक्त मूलभूत कानूनी सिद्धान्तों को मध्यनजर रखते हुए मेरे मत में रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता के तर्को में बल प्रतीत होता है। इन्तकाल संख्या 464 स्वीकृत दिनांक 14.06.2023 जो कि हरनेक सिंह पुत्र भगत सिंह जाति कम्बोजसिख सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण से हमीत सिंह पुत्र श्री सर्वजीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम , उपहार पत्र कमांक 202302103016925 दिनांक 24.05.2023 के आधार पर मुरब्बा नम्बर 1,2,37 की कुल 6.0796 हैक्टर रकबा का स्वीकृत किया गया है। उपहार पत्र दिनांक 24.05.2023 को पंजीबद्व किया गया है। यहां यह स्पष्ट है कि जब प्रश्नगत नामान्तरकरण पंजीबद्व उपहार पत्र के आधार किया गया है और यदि प्रार्थीगण इस उपहार पत्र को उपहार–पत्र कर्ता करने हेतु सक्षम नहीं है तो उसके सम्बन्ध में वाद–पत्र सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस के साथ नोटेरी पब्लिक से अटेस्ट करवाकर हुऐ घरेलू बंटवारा के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां प्रकरण संख्या 103/2023 अन्तर्गत धारा 53–88–188 आरटीएक्ट का प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। विचाराधीन दावा में उक्त बंटवारानामा अगर सही पाया जाता है तो उक्त विवादित इन्तकाल स्वतः ही निरस्त हो जावेंगा। अगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट उक्त उपहार पत्र को फर्जी मानते है तो प्रार्थीगण को उपहार पत्र निरस्त कराने हेतु उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। उक्त अपील नामान्तरकरण से सम्बन्धित है और नामान्तरकरण एक फिक्सल कार्यवाही मात्र है जिससे किसी प्रकार के हक व हकूक अर्जित नहीं होते है। नियमित वाद की कार्यवाही में ही हकूकों की घोषणा होनी होती है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीबद्व उपहार पत्र के आधार पर नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। अतः अपील के सीमित दायरे को देखते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner